

फर्द अहकाम

बनौद बनाम इमीत

नाम न्यायालय AUM बनौद

केस संख्या 4/2024

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	विशेष
-------------	---------------------------	-------

09.04.25

9/4/25

पत्रावली आज दिनांक 9/4/25 को पेश हुई। वि. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वार एरॉड जयपुर द्वारा कमीलेवा दी जाने से पत्रावली प्राप्त हुआ दिनांक 24/4/25 को पेश हो।

24/4/25

पत्रावली प्रस्तुत/वकीलवारी उप.। कुर्बाना रिपोर्ट प्राप्त हो चुके हैं। उपपुत्र को.ता. पेकी पा कस के। पत्रावली वाले बंध रिपोर्ट 1/5 को पेश हो।

सहायक कलक्टर  
आमेर मंजयपुर

1/5/25

पत्रावली प्रस्तुत/वकीलवारी उपस्थित। प्रतिवर्षी गण की कोर्ट से कोर्ट उपस्थित नहीं है। वकील के मुताबिक कुर्बाना रिपोर्ट डिफ्टी करके हेतु निवेदन किया। स्वतः वाद मुताबिक तहसील पाट जालमू कुर्बाना रिपोर्ट अनुमा डिफ्टी किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिफ्टी पुस्तक से लिखवापा गया पत्रावली के मूल शूमा चेफ्ट फाइल फिल है।

सहायक कलक्टर  
आमेर मंजयपुर



न्यायालय :- सहायक कलक्टर आमेर,  
मुख्यालय जयपुर (राज.)  
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी  
आर.ए.एस.



नियमित वाद संख्या 4/2024

वाद प्रस्तुति दिनांक : 09.01.2024

राजेन्द्र कोर पत्नी करमजीत सिंह जाति जट (सिख) निवासी डी-65, आईनॉक्स के पीछे सी ब्लॉक वैशाली नगर, जयपुर।

..... वादी

### बनाम

1. अजीत कुमार पुत्र टोडा
2. देवीलाल पुत्र टोडा
3. मन्नी देवी पत्नी टोडा
4. राकेश कुमार पुत्र टोडा
5. रामजीवण पुत्र टोडा
6. लाली देवी पुत्र टोडा
7. सोनी देवी पुत्री टोडा
8. कालूराम पुत्र चोथ्या
9. किशानी देवी पत्नी चोथ्या
10. पतासी पुत्र चोथ्या
11. प्रभुदयाल पुत्र चोथ्या
12. बाबूलाल पुत्र चोथ्या
13. लक्ष्मीनारायण पुत्र चोथ्या
14. गोगराज पुत्र कानाराम
15. सुखराम पुत्र कानाराम
16. पांचूलाल पुत्र कानाराम
17. हरदेव पुत्र कानाराम
18. झाबर सिंह चौधरी पुत्र श्योजीराम
19. हीरालाल चौधरी पुत्र श्योजीराम
20. बंशीधर पुत्र रामनारायण
21. भगवान सहाय पुत्र रामनारायण
22. राकेश पुत्र रामनारायण
23. रामेश्वर लाल पुत्र रामनारायण
24. राजपाल सिंह पुत्र चंदाराम
25. रामस्वरूप पुत्र नंदाराम
26. श्रवण कुमार पुत्र नंदाराम
27. सुणा देवी पुत्र गोपाल
28. हरफूला सिंह पुत्र भोलूराम
29. हरिनारायण पुत्र नानूराम

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर समस्त जाति जाट निवासी सिरसी पटवार हल्का राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।



30. भरत सिंह पुत्र चंदाराम
31. ललित किशोर पुत्र रामू
32. शोभाग सिंह पुत्र चंदाराम
33. सरदा सिंह पुत्र चंदाराम
34. हनुमान पुत्र रामू
35. हूक्मा पुत्र रामू

- समस्त जाति जाट निवासी नांगल लाडी तहसील आमेर जिला जयपुर राज0।
36. आईडीबी आई बैंक लिमिटेड शाखा चंपापुरा, जरिये प्रबंधक।
37. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा राधाकिशनपुरा जरिये प्रबंधक।
38. पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर जरिये प्रबंधक।
39. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैंसावा जरिये प्रबंधक।
40. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बोयतवाला जरिये प्रबंधक।
41. तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर राज0।
42. सब रजिस्ट्रार तहसील आमेर जिला जयपुर राज0।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत - 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955

दिनांक 01.05.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि आराजी वाके ग्राम सिरसी, पटवार हल्का राधाकिशनपुरा, भू-अभिलेख क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 179 रकबा 5.8000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 334 रकबा 5.4800 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है जिसमें वादिया का हिस्सा खसरा नंबर 179 में 5/63 हिस्सा है व खसरा नंबर 334 में 1/12 हिस्सा है। शेष खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 35 के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अनुसार दर्ज है। वादग्रस्त आराजीयात वर्णित कृषि भूमि अविभाजित है। जिसका वादिया व प्रतिवादीगण 1 लगायत 35 के मध्य आपसी सहमति से मौखिक रूप से मनबंट के आधार पर विभाजन किया हुआ है तथा अपने-अपने हक व हिस्से में आयी भूमि पर अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है तथा वादिया भी अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज है। वादिया ने अपने हिस्से में आयी भूमि की तारबंदी कर रखी है वादिया ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 35 को कई बार वादग्रस्त भूमि का मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार विधिक विभाजन करवाने के लिए कहा जिस पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 35 ने वादिया को आशवस्त करते हुये कहा कि जब भी हमें समय मिल जायेगा सभी पक्षकारान मौके पर काबिज अनुसार भूमि का विधिक विभाजन विधिक रूप से करवा लेगे। इस प्रकार वादिया के कहने के बावजूद भी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 35 ने वादग्रस्त भूमि का विभाजन विधिक रूप से नहीं करवाया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 35 एक राय होकर वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 05.01.2024 को आये और दीगर व्यक्तियों को वादग्रस्त भूमि बताकर मनचाही जगह से विक्रय करने का सौदा करने लगे जिस पर वादिया ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और भूमि का हिस्सेनुसार विधिक रूप से विभाजन करवाने को कहा तब प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 35 ने इंकार कर दिया और कहने लगे कि वह मनचाही जगह कब्जा कर लेंगे तथा वादिया का उनके हिस्से से बेदखल करके अच्छी



जमीन में से भूमि का बेचान करके कब्जा क्रेताओं को संभला देंगे। इसलिए वादिया को अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा हेतु वाद विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलवी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 29, 36 ता 40 बावजूद तामील बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 31.05.2024 इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 30 ता 35 की तलवी जरिये राजरथना पत्रिका दैनिक समाचार पत्र दिनांक 18.06.2024 द्वारा करवाई गई है बावजूद तामील नोटिस प्रतिवादी संख्या 30 लगायत 35 अनुपस्थित है अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी अधिवक्ता ने प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु निवेदन करने एवं बहस सुनकार वाद वादी बाई मीटस एंड वाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया। तदनुसार तहसीलदार जालसू को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रूल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके ग्राम सिरसी, पटवार हल्का राधाकिशनपुरा, भू-अभिलेख क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 179 रकबा 5.8000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 334 रकबा 5.4800 हैक्टेयर भूमि का बाई मीटस एंड वाउंडस के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतु आदेशित किया गया।

तहसीलदार जालसू ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/संस्था/2025 /825 दिनांक 03.04.2025 के द्वारा कुर्रैजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये हैं। वादी अधिवक्ता ने कुर्रैजात रिपोर्ट के आधार पर डिक्री करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात, तर्कों, एवं कुर्रैजात के आधार पर वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :-

1. राजेन्द्र कौर पत्नी करमजीत सिंह हि. पूर्ण जाति जट (सिख) सा. सी-65 आईनोक्स के पीछे सी ब्लॉक वैशाली नगर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 179/2 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 334/1 रकबा 0.4332 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8832 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. राजेन्द्र कौर पत्नी करमजीत सिंह हि. 236/836 जाति जट सिख सा. सी-65 आईनोक्स के पीछे सी ब्लॉक वैशाली नगर खातेदार, गोगराज पुत्र कानाराम हि. 100/836 जाति जाट, सा. देह खातेदार, सुखराम पुत्र कानाराम हि. 100/836 जाति जाट सा. देह, हरदेव पुत्र कानाराम हि. 100/836 जाति जाट सा. देह खातेदार, झावर पुत्र श्योजीराम हि. 100/836 जाति जाट सा. देह खातेदार, हीरालाल पुत्र श्योजीराम हि. 100/836 जाति जाट, सा. देह खातेदार शेष इंद्राज जमाबंदी बदस्तुर खसरा नंबर 334/2 रकबा 0.0836 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. अजीत कुमार पुत्र टोडा हि. 159/49632, कालूराम पुत्र चौथ्या हि. 609/49632, किशनी देवी पत्नी चौथ्या हि. 609/49632, गोगराज पुत्र कानाराम 631/49632, गोपाल पुत्र हनुमान हि. 914/49632, झावर सिंह पुत्र श्योजीराम हि. 265/49632, देवीलाल पुत्र टोडा हि. 159/49, पतासी पुत्री चौथ्या हि. 609/49632, प्रभुदयाल पुत्र चौथ्या हि. 608/49632, पांचूलाल पुत्र



कानाराम हि. 630/49632, बंशीधर पुत्र रामनारायण हि. 1142/49632, बाबूलाल पुत्र चौथ्या हि. 609/49632, भगवान सहाय पुत्र रामनारायण हि. 1142/49632, भरतसिंह पुत्र चंदाराम हि. 1142/49632, मन्नी देवी पुत्र टोडा हि. 3813/49632, मनभरी पुत्री हनुमान 913/49632, राकेश पुत्र रामनारायण 1141/49632, राकेश कुमार पुत्र टोडा हि. 159/49632, राजपाल सिंह पुत्र चंदाराम हि. 1141/49632, रामजीवण पुत्र टोडा 159/49632, रामनिवास पुत्र हनुमान 914/49632, रामेश्वरलाल पुत्र रामनारायण 1142/49632, रामस्वरूप पुत्र नंदाराम 1827/49632, लक्ष्मीनारायण पुत्र चौथ्या हि. 609/49632, ललित किशोर पुत्र रामू हि. 4567/49632, लाली देवी पुत्र टोडा 159/49632, विमला देवी पुत्री हनुमान 913/49632, श्रवण कुमार पुत्र नंदाराम 1827/49632, श्रवणी पुत्री हनुमान 914/49632, शोभाग सिंह पुत्र चंदाराम 1142/49632, सुखराम पुत्र कानाराम 630/49632, सुणा देवी पत्नी गोपाल 2538/49632, सरदार सिंह पुत्र चंदाराम 1142/49632, सोनी देवी पुत्री टोडा 159/49632, हुक्मा पुत्र रामू 4567/49632, हरदेव पुत्र कानाराम 630/49632, हरफूलसिंह पुत्र भोलूराम 4567/49632, हरिनारायण पुत्र नानूराम 4566/49632, हीरालाल पुत्र श्योजीराम 265/49632 जाति जाट सा. देह खातेदार शेष इंद्राज जमाबंदी बदस्तुर के हिस्से खसरा नंबर 334/3 रकबा 4.9632 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

4. अजीत कुमार पुत्र टोडा 518/51970, कालूराम पुत्र चौथ्या 609/51970, किशानी देवी पत्नी चौथ्या 609/51970, गोगराज पुत्र काना 738/51970, झाबरसिंह पुत्र श्योजीराम 352/51970, देवीलाल पुत्र टोडा 517/51970, पतासी पुत्री चौथ्या 609/51970, प्रभुदयाल पुत्र चौथ्या 609/51970, पांचूलाल पुत्र काना 738/51970, बंशीधर पुत्र रामनारायण 1174/51970, बाबूलाल पुत्र चौथ्या 609/51970, भगवान सहाय पुत्र रामनारायण 1174/51970, भरत सिंह पुत्र चंदाराम 1173/51970, मन्नी देवी पत्नी टोडा 4384/51970, मनभरी पुत्री हनुमान 932/51970, मुरलीधर पुत्र नानूराम 195/51970, रमेश कुमार पुत्र टोडा 517/51970, राकेश कुमार पुत्र रामनारायण 1173/51970, राजपाल सिंह पुत्र चंदाराम 1173/51970, रामजीवण पुत्र टोडा 517/51970, रामनिवास पुत्र हनुमान 931/51970, रामेश्वरलाल पुत्र रामनारायण 1174/51970, रामस्वरूप पुत्र नंदाराम 1899/51970, लक्ष्मीनारायण पुत्र चौथ्या 609/51970, ललित किशोर पुत्र रामू 4799/51970, लाली देवी पुत्री टोडा 517/51970, विमला पुत्र हनुमान 931/51970, श्रवण कुमार पुत्र नंदाराम 1899/51970, श्रवणी पुत्री हनुमान 932/51970, शोभाग सिंह पुत्र चंदाराम 1174/51970, सुखराम पुत्र काना 709/51970, सरदार सिंह पुत्र चंदाराम 1174/51970, सोनी देवी पुत्री टोडा 517/51970, हुक्मा पुत्र रामू 4798/51970, हरदेव पुत्र काना 709/51970, हरफूल सिंह पुत्र भोलूराम 4799/51970, हरिनारायण पुत्र नानू 4797/51970, हीरालाल पुत्र श्योजीराम 351/51970 शेष इंद्राज जमाबंद बदस्तुर के हिस्से खसरा नंबर 179/1 रकबा 0.6900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 179/3 रकबा 1.0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 179/5 रकबा 3.467 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 5.1970 हैक्टेयर भूमि रहेगी।


5. अजीत कुमार पुत्र टोडा 37/1530, कालूराम पुत्र चौथ्या 37/1530, किशानी देवी पत्नी चौथ्या 37/1530, गोगराज पुत्र काना 37/1530, गोपाललाल पुत्र हनुमान 37/1530, झाबरसिंह पुत्र श्योजी राम 37/1530, देवीलाल पुत्र टोडा 37/1530, पतासी पुत्री चौथ्या 37/1530, प्रभुदयाल

13m  
सहायक न्यायाधीश  
आमर मुंबई

पुत्र चौथ्या 37/1530, पांचूलाल पुत्र काना 37/1530, वंशीधर पुत्र रामनारायण 37/1530, बाबूलाल पुत्र चौथ्या 37/1530, भगवान सहाय पुत्र रामनारायण 37/1530, भरतसिंह पुत्र चंदाराम 37/1530, मन्नी देवी पत्नी टोडा 37/1530, मनभरी पुत्री हनुमान 37/1530, मुरलीधर पुत्र नानूराम 37/1530, रमेश कुमार पुत्र टोडा 37/1530, राकेश कुमार पुत्र रामनारायण 37/1530, राजेन्द्र कौर पत्नी करमजीत सिंह 103/1530, राजपाल सिंह पुत्र नंदराम 37/1530, रामजीवण पुत्र टोडा 37/1530, रामनिवास पुत्र हनुमान 37/1530, रामेश्वरलाल पुत्र रामनारायण 37/1530, रामस्वरूप पुत्र नंदाराम 36/1530, लक्ष्मी नारायण पुत्र चौथ्या 36/1530, ललितकिशोर पुत्र रामू 36/1530, लाली देवी पुत्री टोडा 36/1530, विमला पुत्री हनुमान श्रवण कुमार पुत्र नंदाराम 36/1530, श्रवणी पुत्री हनुमान 36/1530, शोभाग सिंह पुत्र नंदाराम 36/1530, सुखाराम पुत्र काना 36/1530, सरदार सिंह पुत्र चंदाराम 36/1530, सोनी देवी पुत्री टोडा 36/1530, हुक्मा पुत्र रामू 36/1530, हरदेव पुत्र काना 36/1530, हरफूल सिंह पुत्र भोलूराम 36/1530, हरिनारायण पुत्र नानू 36/1530, हीरालाल पुत्र श्योजीराम 36/1530 शेष इंद्राज जमाबंदी बदस्तुर के हिस्से खसरा नंबर 179/4 रकबा 0.1530 हैक्टयेर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



  
सहायक कलक्टर  
आमेर मु० जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)  
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी  
आर.ए.एस



नियमित वाद संख्या 4/2024

वाद प्रस्तुति दिनांक : 09.01.2024

राजेन्द्र कोर पत्नी करमजीत सिंह जाति जट (सिख) निवासी डी-65, आईनॉक्स के पीछे सी  
ब्लॉक वैशाली नगर, जयपुर।

..... वादी

बनाम

1. अजीत कुमार पुत्र टोडा
2. देवीलाल पुत्र टोडा
3. मन्नी देवी पत्नी टोडा
4. राकेश कुमार पुत्र टोडा
5. रामजीवण पुत्र टोडा
6. लाली देवी पुत्र टोडा
7. सोनी देवी पुत्री टोडा
8. कालूराम पुत्र चोथ्या
9. किशानी देवी पत्नी चोथ्या
10. पतासी पुत्र चोथ्या
11. प्रभुदयाल पुत्र चोथ्या
12. बाबूलाल पुत्र चोथ्या
13. लक्ष्मीनारायण पुत्र चोथ्या
14. गोगराज पुत्र कानाराम
15. सुखराम पुत्र कानाराम
16. पांचूलाल पुत्र कानाराम
17. हरदेव पुत्र कानाराम
18. झाबर सिंह चौधरी पुत्र श्योजीराम
19. हीरालाल चौधरी पुत्र श्योजीराम
20. बंशीधर पुत्र रामनारायण
21. भगवान सहाय पुत्र रामनारायण
22. राकेश पुत्र रामनारायण
23. रामेश्वर लाल पुत्र रामनारायण
24. राजपाल सिंह पुत्र चंदाराम
25. रामस्वरूप पुत्र नंदाराम
26. श्रवण कुमार पुत्र नंदाराम
27. सुणा देवी पुत्र गोपाल
28. हरफूला सिंह पुत्र भोलूराम

29. हरिनारायण पुत्र नानूराम  
समस्त जाति जाट निवासी सिरसी पटवार हल्का राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला  
आमेर मु. जयपुर।

30. भरत सिंह पुत्र चंदाराम



31. ललित किशोर पुत्र रामू
32. शोभाग सिंह पुत्र चंदाराम
33. सरदा सिंह पुत्र चंदाराम
34. हनुमान पुत्र रामू
35. हूक्मा पुत्र रामू

- समस्त जाति जाट निवासी नांगल लाडी तहसील आमेर जिला जयपुर राज0।
36. आईडीबी आई बैंक लिमिटेड शाखा चंपापुरा, जरिये प्रबंधक।
  37. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा राधाकिशनपुरा जरिये प्रबंधक।
  38. पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर जरिये प्रबंधक।
  39. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैंसावा जरिये प्रबंधक।
  40. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बोयतवाला जरिये प्रबंधक।
  41. तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर राज0।
  42. सब रजिस्ट्रार तहसील आमेर जिला जयपुर राज0।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत - 53, 188 अन्तर्गत  
अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:-

1. राजेन्द्र कौर पत्नी करमजीत सिंह हि. पूर्ण जाति जट (सिख) सा. सी-65 आईनोक्स के पीछे सी ब्लॉक वैशाली नगर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 179/2 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 334/1 रकबा 0.4332 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8832 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. राजेन्द्र कौर पत्नी करमजीत सिंह हि. 236/836 जाति जट सिख सा. सी-65 आईनोक्स के पीछे सी ब्लॉक वैशाली नगर खातेदार, गोगराज पुत्र कानाराम हि. 100/836 जाति जाट, सा. देह खातेदार, सुखराम पुत्र कानाराम हि. 100/836 जाति जाट सा. देह, हरदेव पुत्र कानाराम हि. 100/836 जाति जाट सा. देह खातेदार, झावर पुत्र श्योजीराम हि. 100/836 जाति जाट सा. देह खातेदार, हीरालाल पुत्र श्योजीराम हि. 100/836 जाति जाट, सा. देह खातेदार शेष इंद्राज जमाबंदी बदस्तुर खसरा नंबर 334/2 रकबा 0.0836 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. अजीत कुमार पुत्र टोडा हि. 159/49632, कालूराम पुत्र चौथ्या हि. 609/49632, किशनी देवी पत्नी चौथ्या हि. 609/49632, गोगराज पुत्र कानाराम 631/49632, गोपाल पुत्र हनुमान हि. 914/49632, झावर सिंह पुत्र श्योजीराम हि. 265/49632, देवीलाल पुत्र टोडा हि. 159/49, पतासी पुत्री चौथ्या हि. 609/49632, प्रभुदयाल पुत्र चौथ्या हि. 608/49632, पांचूलाल पुत्र कानाराम हि. 630/49632, बंशीधर पुत्र रामनारायण हि. 1142/49632, बाबूलाल पुत्र चौथ्या हि. 1142/49632, भगवान सहाय पुत्र रामनारायण हि. 1142/49632, भरतसिंह पुत्र चंदाराम हि. 1142/49632, मन्नी देवी पुत्र टोडा हि. 3813/49632, मनभरी पुत्री हनुमान 913/49632, राकेश पुत्र रामनारायण 1141/49632, राकेश कुमार पुत्र टोडा हि. 159/49632, राजपाल सिंह पुत्र चंदाराम हि. 1141/49632, रामजीवण पुत्र टोडा 159/49632, रामनिवास पुत्र हनुमान

3/5/25  
सहायक के अदालत  
आमेर मु. जयपुर



914/49632, रामेश्वरलाल पुत्र रामनारायण 1142/49632, रामस्वरूप पुत्र नंदाराम  
1827/49632, लक्ष्मीनारायण पुत्र चौथ्या हि. 609/49632, ललित किशोर पुत्र रामू हि.  
4567/49632, लाली देवी पुत्र टोडा 159/49632, विमला देवी पुत्री हनुमान 913/49632,  
श्रवण कुमार पुत्र नंदाराम 1827/49632, श्रवणी पुत्री हनुमान 914/49632, शोभाग सिंह पुत्र  
चंदाराम 1142/49632, सुखराम पुत्र कानाराम 630/49632, सुणा देवी पत्नी गोपाल  
2538/49632, सरदार सिंह पुत्र चंदाराम 1142/49632, सोनी देवी पुत्री टोडा 159/49632,  
हुक्मा पुत्र रामू 4567/49632, हरदेव पुत्र कानाराम 630/49632, हरफूलसिंह पुत्र भोलूराम  
4567/49632, हरिनारायण पुत्र नानूराम 4566/49632, हीरालाल पुत्र श्योजीराम 265/49632  
जाति जाट सा. देह खातेदार शेष इंद्राज जमाबंदी बदस्तुर के हिस्से खसरा नंबर 334/3 रकबा  
4.9632 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

4. अजीत कुमार पुत्र टोडा 518/51970, कालूराम पुत्र चौथ्या 609/51970, किशानी देवी पत्नी  
चौथ्या 609/51970, गोगराज पुत्र काना 738/51970, झाबरसिंह पुत्र श्योजीराम 352/51970,  
देवीलाल पुत्र टोडा 517/51970, पतासी पुत्री चौथ्या 609/51970, प्रभुदयाल पुत्र चौथ्या  
609/51970, पांचूलाल पुत्र काना 738/51970, बंशीधर पुत्र रामनारायण 1174/51970,  
बाबूलाल पुत्र चौथ्या 609/51970, भगवान सहाय पुत्र रामनारायण 1174/51970, भरत सिंह पुत्र  
चंदाराम 1173/51970, मन्नी देवी पत्नी टोडा 4384/51970, मनभरी पुत्री हनुमान 932/51970,  
मुरलीधर पुत्र नानूराम 195/51970, रमेश कुमार पुत्र टोडा 517/51970, राकेश कुमार पुत्र  
रामनारायण 1173/51970, राजपाल सिंह पुत्र चंदाराम 1173/51970, रामजीवण पुत्र टोडा  
517/51970, रामनिवास पुत्र हनुमान 931/51970, रामेश्वरलाल पुत्र रामनारायण 1174/51970,  
रामस्वरूप पुत्र नंदाराम 1899/51970, लक्ष्मीनारायण पुत्र चौथ्या 609/51970, ललित किशोर  
पुत्र रामू 4799/51970, लाली देवी पुत्री टोडा 517/51970, विमला पुत्र हनुमान 931/51970,  
श्रवण कुमार पुत्र नंदाराम 1899/51970, श्रवणी पुत्री हनुमान 932/51970, शोभाग सिंह पुत्र  
चंदाराम 1174/51970, सुखाराम पुत्र काना 709/51970, सरदार सिंह पुत्र चंदाराम  
1174/51970, सोनी देवी पुत्री टोडा 517/51970, हुक्मा पुत्र रामू 4798/51970, हरदेव पुत्र  
काना 709/51970, हरफूल सिंह पुत्र भोलूराम 4799/51970, हरिनारायण पुत्र नानू  
4797/51970, हीरालाल पुत्र श्योजीराम 351/51970 शेष इंद्राज जमाबंद बदस्तुर के हिस्से  
खसरा नंबर 179/1 रकबा 0.6900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 179/3 रकबा 1.0400 हैक्टेयर, खसरा  
नंबर 179/5 रकबा 3.467 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 5.1970 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

5. अजीत कुमार पुत्र टोडा 37/1530, कालूराम पुत्र चौथ्या 37/1530, किशानी देवी पत्नी चौथ्या  
37/1530, गोगराज पुत्र काना 37/1530, गोपाललाल पुत्र हनुमान 37/1530, झाबरसिंह पुत्र  
श्योजी राम 37/1530, देवीलाल पुत्र टोडा 37/1530, पतासी पुत्री चौथ्या 37/1530, प्रभुदयाल  
पुत्र चौथ्या 37/1530, पांचूलाल पुत्र काना 37/1530, बंशीधर पुत्र रामनारायण 37/1530,  
बाबूलाल पुत्र चौथ्या 37/1530, भगवान सहाय पुत्र रामनारायण 37/1530, भरतसिंह पुत्र  
चंदाराम 37/1530, मन्नी देवी पत्नी टोडा 37/1530, मनभरी पुत्री हनुमान 37/1530, मुरलीधर  
पुत्र नानूराम 37/1530, रमेश कुमार पुत्र टोडा 37/1530, राकेश कुमार पुत्र रामनारायण  
37/1530, राजेन्द्र कौर पत्नी करमजीत सिंह 103/1530, राजपाल सिंह पुत्र नंदाराम 37/1530,

73mi  
सहायक कलक्टर  
आमेर

रामजीवण पुत्र टोडा 37/1530, रामनिवास पुत्र हनुमान 37/1530, रामेश्वरलाल पुत्र रामनारायण 37/1530, रामस्वरूप पुत्र नंदाराम 36/1530, लक्ष्मी नारायण पुत्र चौथ्या 36/1530, ललितकिशोर पुत्र रामू 36/1530, लाली देवी पुत्री टोडा 36/1530, विमला पुत्री हनुमान श्रवण कुमार पुत्र नंदाराम 36/1530, श्रवणी पुत्री हनुमान 36/1530, शोभाग सिंह पुत्र नंदाराम 36/1530, सुखाराम पुत्र काना 36/1530, सरदार सिंह पुत्र चंदाराम 36/1530, सोनी देवी पुत्री टोडा 36/1530, हुक्मा पुत्र रामू 36/1530, हरदेव पुत्र काना 36/1530, हरफूल सिंह पुत्र भोलूराम 36/1530, हरिनारायण पुत्र नानू 36/1530, हीरालाल पुत्र श्योजीराम 36/1530 शेष इंद्राज जमाबंदी बदस्तुर के हिस्से खसरा नंबर 179/4 रकबा 0.1530 हैक्टयेर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 01.05.2025 को जारी किया।

दस्तख्त—  
ओहदा—



*Bunni*  
सहायक कलक्टर  
आमेर मु० जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमि		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रुपये		श्नर	4 रुपये	
मुतफरित			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मीजान			मुतफरित		
			मीजान		

*Bunni*